



DETAILS OF OPENING			
DOORS	D	WIDTH	HEIGHT
	D1	3'6"	7'0"
	D2	3'3"	7'0"
WINDOWS	W	WIDTH	HEIGHT
	W1	2'6"	7'0"
	W2	4'0"	4'0"
	W3	3'0"	4'0"
	W4	2'0"	2'0"

- GENERAL SPECIFICATION**
- FOUNDATION AS PER DESIGN
  - P.C.C. 1:4 CONC. MIX
  - R.C.C. 1:2:4 CONC. MIX
  - BRICK WALL 1:8 FOR 23. INCH TH. & 1:3 FOR 11 TH BRICK WALL
  - PLASTERING 1:4 OVER R.C.C. SURFACE & 1:3 OVER BRICK SURFACE
  - FLOORING 1:4 CONC. TH. 1.5 FLOOR IN 1-3 OVER SLABS TH. P.C.C. OR (1:4:8)
  - WOOD WORK - SALIN DOOR CHOKHYAT & FLUSH DOOR SHUTTER OF W.P.M.P.
  - STEEL WORK - STEEL FRAME IN WINDOW GRILL IN LODGE SHUTTER OF W.P.M.P.
  - PAINT FINISHING COLOUR WASH TWO COAT OVER
  - P.O.P INSIDE & SMOOCHEN OVER OUTSIDE WALL PLASTER
  - FINISH - REMOVABLE BRICKWORK

PROPOSED BUILDING PLAN FOR THE HOUSE OF - SIMPLEX

KHATA NO. ....  
PLOT NO. ....  
THANA NO. ....  
MOUZA ....  
DIST. ....

STATEMENT OF AREA	
1 TOTAL PLOT AREA	1000 SQ.FT
2 BUILT-UP AREA	550 SQ.FT
3 GROUND FLOOR AREA	550 SQ.FT
4 NO. COVERED AREA	85%
5 ACHIEVE F.A.R.	0.85

SIGN. OF OWNER .....  
SIGN. OF Engineer .....  
BY: ARVIND KUMAR  
Civil Engineer  
Reg. No. C-415-10

SIGN. OF Special officer .....  
BY: .....  
Reg. No. C-415-10

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या - 8(4)

श्री रेन्सोकचर बिडिज लेट्स

आप के आवेदन संख्या

तिथि के संदर्भ में श्रीमति / श्री

आपके लिए

(क) वास्तु विद्या भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुनर्निर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / बिहार शहरी अयोजन तथा विकाश

आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूच्यत

विकास योजना / अयोजना प्राधिकार/अयोजना स्कीम के

नं० 3/72 (सीएस्सी) 2005 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 50.2.5.28

होल्डींग नं० गाँव 69.4.1.5.5 मोहल्ला

वार्ड नं० के बाबत निम्नलिखित शर्तों /

निर्बंधनों के अध्याधीन एतत् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजना के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व

अनुमोदन के बिना उपयोग उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमती के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुशार किया जायेगा।

(ग) अनुमोदित योजना दर्शाया गया 13.8 वर्ग मीटर का पारकिंग स्थल खुला रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार

का निर्माण रही किया जायेगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमी 6 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से होगी।

(ङ) प्रसंगत भूमी आवेदित के विधि पूर्ण स्वामित्व एवम शांति पूर्ण कब्जा में आवश्व हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकाश योजना / आयोजन प्रराधिकारो

/ बिहार शहरी योजना तथा विकाश अधिनियम 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्किम के अधिन अच्छादित

सुसंगत अयोजना प्रराधिकार / ग्राम पंचायत क्षेत्रो अधिनस्त-----नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत /

महानगर क्षेत्र / अयोजन क्षेत्र में -----मीटर चौड़ी भूमी की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमती (अनुज्ञा) जारी किया जाने के तारीख से 3 वर्षों के अवधि के लिए विधिमन्य होगा।

(ज) इस उपबन्ध के अधिन दि गई अनुमती को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित कि गई हो के अधिकार

हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जायेगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू- अभिलेख के कारण या अधिकार / हक हित की बाबत कोई विवाद होने पर

विवाद की अवधी के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त

मुखिया

श्रीमती देवी

मुखिया 05/06/19

ग्राम पंचायत चकहाँ

प्रखण्ड-शहरी (रोहतास)